

आज्ञा या संज्ञा	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------------------	----------------------	-------------

08-2-18 कुलम्प 30 गत आदेश  
 की पालना में दिनांक 15-3-18  
 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर (जयपुर)

15-3-18 कुलम्प 30 राजि. रत्न  
 कागजु पेश करने को भवसा-याज्ञ  
 पनावली दिनांक 10-5-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर (जयपुर)

10-5-18 कुलम्प 30 राजि. रत्न  
 कागजु पेश करने को भवसा-याज्ञ  
 पनावली दिनांक 31-5-18 को  
 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर (जयपुर)

31-5-18  
 पनावली राजस्व लोक अडालत में  
 पेश हुई। उपाधित धनकारण को  
 मजमें आम सुना गया। पनावली,  
 पनावली पर उपलब्ध इलाके में  
 विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन  
 किया गया। गाड़ी का डुरुली इलाका के  
 संबंधित हैं। प्राची का निडेडन  
 रहा कि साकिव ख.नं. 88 रकबा 2  
 बीघा 15 बिस्का के हाल ख.नं. 62)  
 बनाकर रकबा 0.49 हेक्टेयर काफर  
 किया गया तथा 0.16 हेक्टेयर रकबा कर

पु. ए. ए. 15/1/2018 56 मार्च/18

मानगार  
 मंगाराम  
 रामनारायण  
 चं. श्रीमै



**फर्द अहकाम**

आपकी वकील बानाम **VIJAYAN**  
 ऑफिस



**उपखण्ड अधिकारी**  
**विराटनगर (जयपुर)**  
**50/2012**

**प्राधान्यपत्र**

आज्ञा विस्तृत रूप से

करते हुए ख.नं. 627/742 में प्रतिकापी के नाम दर्ज कर दिया जिसकी डुरुहली खाबत 'हस्तगत वाड पेश है। तदधीन प्र विराटनगर से साबिक रिकॉर्ड में हुई सुदृष्टि की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा पत्रावली बहम मौका रिपोर्ट में निपत है। मूल वाड का न्यायपूर्ण निस्तारण दोनों पक्षों की पूर्ण साक्ष्य उपरोक्त संभव होगा, तब तक उक्त पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, अनापशुक्ल मुकदमकाजी नहीं हो। इसके लिए यह आवश्यक एवं न्याय-संगत है कि आराजी मुतनाज के राजस्व, मौका की प्रकाशित काप्य रहे। अतः उक्त पक्षों को ताकतला मूल वाड का न्याय निवेदाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि गण पाली के खसरा नम्बर 629, 627/742 के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की प्रकाशित बगले रखें। निम्न मगरे कर तुलाप जपा।



**प्राधान्य अधिकारी**  
 राजस्व लोक अदालत  
 न्याय आपके द्वार-2013  
 उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)